(b) if not, the reason for the delay; and

(c) when a decision is likely to be taken?

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI H. R. GOKHALE). (a) Yes, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Lowering of voting age

259. SHRI S. M. BANERJEE:
SHRI RAM PRAKASH:

Will the Minister of LAW AND JUSTICE be pleased to state:

(a) whether a final decision has since been taken by Government to reduce the voting age from 21 years to 18 years;

(b) if not, the reasons for delay;

(c) whether most of the political parties have supported this proposal; and

(d) if so, the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE (SHRI NITIRAJ SINGH CHAUDHARY): (a) No, Sir.

(b) The proposal requires careful consideration from all aspects and some more time is likely to be taken before a decision is taken in the matter;

(c) The Joint Committee of both Houses of Parliament on Amendments to Election Law in which Members belonging to certain political parties were represented, have recommended that the voting age may be reduced from 21 to 18 years;

(d) The recommendation of the Committee is under consideration.

Strike notices served on Western Railway Authorities by Paschim Railway Karamchari Parishad

260. SHRI HUKAM CHAND KACHWAI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) how many strike notices were served by the Pashchim Railway Karamchari Parishad during the three years ending on the 30th September, 1972 to the Western Railway Authorities;

(b) how many of these notices were acknowledged by the Western Railway Administration in accordance with section 22(6) of the Industrial Disputes Act, 1947; and

(c) how many of the notices were not acknowledged as per provisions of the Industrial Disputes Act and what the reasons therefor?

THE MINISTER OF RAILWAYS (SHRI T. A. PAI): (a). Twenty one.

(b) and (c). No acknowledgement was required to be sent under section 22(6) of the Act.

राजधानी एक्सप्रेस से मासिक हानि

261. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी एक्सप्रेस में सरकार को हो रही मासिक हानि का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत दो वर्षों में इस गाड़ी से सरकार को कितना राजस्व प्राप्त हुआ ; और

(ग) इस गाड़ी के रख-रखाव पर सरकार द्वारा वर्ष 1971-72 में कितना पया व्यय किया गया?

रेल मंत्री (श्री डी० पी० यादव) : (क) राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों पर लाभ या हानि का हिसाब निकालना सम्भव नहीं है क्योंकि खर्च गाड़ी वार नहीं रखा जाता ।

(ख) गत दो वित्तीय वर्षों के दौरान नई दिल्ली और हावड़ा के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियों से प्राप्त राजस्व की रकम इस प्रकार है :—

वर्ष	आमदनी
	रुपये
1970–71	71.45 लाख
1971–72	71.09 लाख

नयी दिल्ली और बम्बई के बीच चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस गाड़ियां 17 मई 1972 से प्रारम्भ की गयी हैं। 17–5–72 से 31–10–72 तक इन गाड़ियों से आमदनी 22.62 लाख रुपये थी । इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि गंगापुर सिटी–मथुरा खंड पर भारी वर्षा के फलस्वरूप रेल-पथ के टूट फूट के कारण 10–8–72 से 7–10–72 की अवधि में ये गड़ियां नहीं चलायी गयीं ।

(ग) राजधानी एक्सप्रेस के रेकों के अनुरक्षण के सम्बन्ध में कोई अलग हिसाब नहीं रखा जाता ।

गंगा–कावेरी नहर के निर्माण के बारे में राष्ट्रसंघ का विशेषज्ञों का प्रतिवेदन

262. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री पी० एम० मेहता :

क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा-कावेरी नहर के निर्माण के बारे में राष्ट्र संघ विशेषज्ञ दल ने अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और उसमें की गई सिफारिशों के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत संभालय में उपमंत्री (श्री बैजनाथ कुरील) : (क) संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ दल ने भारत के लिए राष्ट्रीय जल ग्रिड पर अपनी रिपोर्ट अगस्त, 1972 में प्रस्तुत की है ।

(ख) मिशन ने भारत के भावी जल संसाधन विकास के लिए राष्ट्रीय जल ग्रिड की विचारधारा के साथ सहमति प्रकट की है । इनके मतानुसार 2000 ए० डी० तक अथवा इसके आस पास राष्ट्रीय जल ग्रिड अत्यावश्यक होगा क्योंकि भारत की राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को अपने विकास और वृद्धि में तब तक जल के बढ़ते हुए अभाव की समस्या का सामना करना होगा । इस बात पर बल दिया गया है कि बहुत ही जटिल तथा कठिन अनुसंधान कार्य को आरम्भ करने के लिए कोई वक्त नहीं छोड़ना चाहिए ताकि योजनाएं उचित समय पर परिपक्व हों और तैयार की जा सकें तथा सुविधाएं उस वक्त मिलें जब उनकी जरूरत हो ।

जहां तक गंगा कावेरी सम्पर्क स्कीम का सम्बन्ध है, जिसके राष्ट्रीय जल ग्रिड के प्रथम सम्पर्क होने के लिए प्रस्ताव रखा गया है, मिशन का विश्वास है कि परियोजना तकनीकी से संभव है और इसमें ऐसी कोई भी इंजीनियरी अथवा निर्माण संबंधी समस्याएं नहीं उठेंगी जिनको हल न किया जा सके लेकिन आने वाले कई वर्षों के दौरान इस पर निरन्तर अध्ययन करने तथा सुधारने की आवश्यकता है ।